

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/2016/ १५२

दिनांकः— २५/१६

आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना खण्ड-पंचम के अधीन सैकटर-8 जोन-82 एवं 83, प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर के आवासीय फ्लेट्स का निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	फ्लेट संख्या	विवरण	कुल फ्लेट	आयवर्ग
1.	83/4 (प्रथम तल)	फ्लेट	01	मध्यम आयवर्ग—ब
2.	22-B - (82/653 से 82/656)	आवासीय फ्लेट (रकेलटन)	04	उच्च आयवर्ग
कुल			05	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम निम्न शर्तों के आधार पर नीलमी योजना में आवासीय फ्लेटों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा रकीम में कोई भी अन्य आवास/फ्लेट नीलामी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. आवासों का निस्तारण नीलामी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है तथा नियमानुसार निरस्त किये गये हैं।
6. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली ब्रिकी/10-11/2107 दिनांक 12.11.10 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 11 व 12/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा०आ०म० जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पंचम, रा०आ०म० जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

अ/

सम्पदा प्रबंधक (मु०)